म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन भोपाल.

क./म. निर्वा./बी–6/2/33/907 भोपाल दिनांक 27/08/2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
आंचलिक कार्यालय भोपाल/सागर/जबलपुर/
ग्वालियर/इंदौर/उज्जैन/रीवा म0प्र0।

MAIL

विषय :– मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 72 में संशोधन संबंधी जारी विधेयक के सबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश राज्यपाल के आदेशानुसार प्रकाशित म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2019।

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्र. 345 दिनांक 13 अगस्त 2019 में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 72 उपधारा (दो) में किये गये संशोधन के तहत विधेयक पारित किया गया है। जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

27/08/19

अपर संचालक (निर्वा.)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./म. निर्वा./बी–6/2/33/908 भोपाल दिनांक 27/08/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त राजस्व संभाग भोपाल, इंदौर, सागर, उज्जैन जबलपुर, ग्वालियर, रीवा।
2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला समस्त .... (म0प्र0)।
3. संयुक्त संचालक (विधि) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर दायर याचिका के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर, सागर एवं ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि याचिका क्रमांक 542/2019 श्री मणिकांत चौरसिया कृषि उपज मंडी समिति नौगांव एवं याचिका क्रमांक 1073/2019, याचिका क्रमांक 2714/2019, याचिका क्रमांक 836/2019 एवं याचिका क्रमांक 1842/2019 में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन को रिक्त कराने की कार्यवाही तत्काल की जाकर कार्यवाही प्रगति से अवगत करावे।
5. अध्यक्ष/भार साधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त ....

27/08/19

अपर संचालक (निर्वा.)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2019—श्रावण 22, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2019

क्र. 13604-222-इक्कीस-अ(प्रा.) अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त, 2019 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१९.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१९.

[दिनांक ९ अगस्त, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ अगस्त, २०१९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा ७२ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ७२ में, उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु राज्य सरकार ऐसी गठित समिति को विघटित करने के लिए सक्षम होगी तथा उसके स्थान पर एक निर्वाचित मण्डी समिति के गठन किए जाने तक एक भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगी.".

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक १ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2019

क्र. 13604-222-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 of 2019

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019.

[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th August, 2019].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

Amendment of Section 72. 2. In Section 72 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), in sub-section (2), for full stop, colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the State Government shall be competent to dissolve such constituted committee and appoint an officer in-charge in place thereof till the constitution of an elected market committee.".

Repeal and saving. 3. (1) The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (No. 1 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.